न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस
प्रकरण संख्या :– 39/2022 ई.रे.

जमनालाल पिता कालू जाट नि. अमरपुरा जागीर तह. भीण्डर

—वादी

बनाम

1– सीमा पिता कालू जाट नि. अमरपुरा जागीर तह. भीण्डर
2– प्रेमबाई पिता कालू जाट नि. अमरपुरा जागीर तह. भीण्डर
3– मगनीबाई पिता कालू जाट नि. अमरपुरा जागीर तह. भीण्डर
4– भूमिधारी तहसीलदार बडीसादडी

—प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 188 रा0टै0एक्ट

// निर्णय // दिनांक :– 25/03/2025

वादी की और से प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा सुथारखेडा पटवार हल्का भाटोली में आराजी संख्या 394 रकबा 1.0500, आराजी नं. 548 रकबा 2.1100, आराजी नं. 34 रकबा 0.2100 हैक्ट. स्थित होकर उक्त आराजीयात मृतक हरलाल के नाम पर दर्ज रिकोर्ड है। वादी व प्रतिवादीगण क्रमांक एक लगायत तीन व मृतक हरलाल का पारिवारीक सजरा इस प्रकार है कि मूल पूरूष जीतू थे । वाद पत्र की चरण संख्या एक में वर्णित आराजीयात मृतक हरलाल पिता जीतु की होकर जीतु के दो पुत्र हरलाल व कालूलाल हुए तथा हरलाल अविवाहित होकर गांव अमरपुरा जागीर से सुथारखेडा में अपनी जायदाद व आराजी होने से यहां आकर बस गया तथा इस अन्तराल में वादी व उसके परिजन सुथारखेडा आते तथा हरलाल के साथ में निवास करते थे तथा पिछले दो वर्षो से उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं होने से व बीमार रहने से वादी के पिता कालू अपने भाई हरलाल की देखभाल करते तथा उसकी सेवा करते थे क्योंकि हरलाल मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं था तथा खातेदर हरलाल पिता जीतू की मृत्यू दिनांक 11.05.2021 को हो चुकी है। तथा कुछ समय बाद ही हरलाल के भाई कालू जो वादी व प्रतिवादी क्रमांक एव व दो के पिता है का भी देहावसान हो गया । मृतक हरलाल जो अविवाहित होकर उसके कोई जायन्दा संतान नहीं होकर वादी व प्रतिवादी क्रमांक एक लगायत तीन हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी के वारीस होकर उक्त मृतक हरलाल के सम्पदा पर वादी व प्रतिवादीगण क्रमांक एक लगायत तीन काबिज होकर उक्त आराजीयात का उपयोग उपभोग कर रहे है तथा वादी ... काबिज है। तथा वादी का उक्त आराजीयात में विरासत से 1/4 हक प्रतिवादीया क्रमांक एक का 1/4 हक प्रतिवादीया क्रमांक दो का 1/4 हक व प्रतिवादीया क्रमांक तीन का 1/4 हक हिस्सा है। इसी अनुसार वादी उक्त आराजीयात को अपनी खातेदारी में दर्ज घोषित करा इसी अनुसार खातेदारी की घोषणा ... का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.05.27 16:58:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब किया गया । प्रतिवादी नं. 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी नं. 1 से 3 की ओर से शहनवाज खान अधिवक्ता ने पावर के साथ जवाब पेश किया जिसमें जाहिर किया कि वादी का वाद इस हद तक स्वीकार किया जावे की वादी व प्रतिवादीगण का 1/4– 1/4 हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकोर्ड में दर्ज की जावे। तनकीयात कायम की गई । साक्ष्यवादी में वादी जमनालाल, व गवाह वरदीचंद, लालूराम, के शपथ पत्र पेश हुये। तथा प्रदर्श–1 व 2A से 6A तक कराये गये।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । वकील वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा सुथारखेडा पटवार हल्का भाटोली की आराजी नम्बर 394 रकबा 1.0500, आराजी नं. 548 रकबा 2.1100, आराजी नं. 34 रकबा 0.2100 हैक्ट. में मृतक हरलाल के बजाय वादी का उक्त आराजीयात में विरासत से 1/4 हक प्रतिवादीया क्रमांक एक का 1/4 हक प्रतिवादीया क्रमांक दो का 1/4 हक व प्रतिवादीया क्रमांक तीन का 1/4 हक हिस्सा अनुसार खातेदारी में दर्ज घोषित की जावे व मृतक हरलाल का नाम राजस्व अभिलेख से हटाया जावे। व वादी प्रतिवादी का नाम दर्ज किया जावे। इसी अनुसार अंतिम डिक्री बनायी जावे। धारा 188 आर.टी.एक्ट की दाद वादी साबित करने में अफसल रहा इसलिये धारा 188 की दाद खारिज की जाती है।
निर्णय आज दिनांक 25/03/2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.05.27 16:58:53 IST
Reason: SelfAttested